न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र जीसीएमएस संख्या 2024/281

1. रतन सिंह जाट जाति–जाट निवासी ग्राम नेकावाला प0ह0 बोबाडी तहसील–जमवारामगढ जिला–जयपुर ।

–प्रार्थी

1. दिनेश चन्द मीणा तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला– जयपुर (राज.)

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र बाबत– अवमानना अन्तगर्त आदेश– 39 नियम 2ए सपठीत सी.पी.सी. धारा 151 धारा 12– अवमानना न्यायालय अधिनियम 1971 में अपील संख्या 2023/501 निर्णय दिनांक 06/03/2024

उपस्थित–

1. श्री बंशीधर जाट वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांक–08.08.2024

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सी.पी.सी. के तहत् तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त की अपील संख्या 2023/501 उनवानी श्रीमती सेडी देवी बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 की पालना नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत हुआ है।

2. तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 06.03.2024 की पालना नहीं किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार को दण्डित कर पालना अविलम्ब करवाये जाने की प्रार्थना की।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई । रेस्पो0 की ओर से बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं।

4. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि श्रीमती सेड़ी देवी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 28/04/2023 के विरुद्ध श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपील संख्या जी.सी एम एस नम्बर 2023/501 उनवानी सेडी देवी बनाय राजस्थान सरकार वगै0 प्रस्तुत किया। जिसका माननीय न्यायालय हारा निर्णय दिनांक 06/03/2024 द्वारा निर्णय पारित कर अपीलांट अपील अस्वीकार की तथा उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 28/04/2023 यथावत रखा, इस प्रकार श्रीमान के आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर का निर्णय दिनांक 28/04/2023 की पालना अप्रार्थी –श्रीमान तहसीलर द्वारा करवाया जाना आवश्यक था। अप्रार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर व न्यायालय श्रीमान के आदेश के पश्चात

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कई बार अप्रार्थी को पत्र जारी किया गया व प्रार्थी द्वारा भी अप्रार्थी को प्रार्थना–पत्र व न्यायालय श्रीमान के निर्णय प्रमाणित प्रति प्रदान की व CM पोर्टल 181 पर भी निर्णय पालनार्थ बाबत दर्ज करवायी गई। परन्तु अप्रार्थी द्वारा श्रीमान के निर्णय कि जान बुझ कर अवहेलना व उपेक्षा करते हुऐ आज तक श्रीमान के आदेश पालना नही कि, जो की न्यायालय श्रीमान के आदेश कि अवहेलना की श्रेणी मे आता है। अप्रार्थी को न्यायालय श्रीमान के निर्णय कि अवहेलना स्वरूप कम से कम 6 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाना व अप्रार्थी कि चल–अचल संपत्ति कुर्क कि जाकर निर्णय कि पालना अविलम्ब किया जाने के आदेश फरमावें।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा प्रकरण संख्या 16/2022 में अपने निर्णय दिनांक 28.04.2023 द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया गया कि पूर्व व वर्तमान के राजस्व नक्शे का मिलान कर वर्तमान नक्शे मे दिये गये ग्राम नेकावाला तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 182, 184, 185, 186, 182/371 को उनके मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरो के नक्शे के अनुसार दुरुस्त किया जावे। वकील प्रार्थी ने कथन किया है कि नेशनल हाइवे एन0एच0–11–ए के लगवा सरकारी भूमि साबिक खसरा नं. 33/1 हाल खसरा नं. 151 वगै0 बने है जो कि बहुमूल्य सरकारी भूमि है एवं निजी खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 33/195 के हाल खसरा नं. 182 बने है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट त्रुटिपूर्ण तरीके से उक्त खसरा नं. 182 के साबिक खसरा नं. 33/195 को अपनी जगह पर अंकित नहीं करके नैशनल हाइवे के लगवा सरकारी भूमि खसरा नं. 151 के भाग पर दर्ज कर दिया गया है। जिसकी अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के होने पर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.03.2024 द्वारा अपील खारिज कर उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 28.04.2023 को यथावत रखा गया है। ऐसे में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर का निर्णय दिनांक 28.04.2023 की पालना करवाया जाना आवश्यक था। किन्तु तहसीलदार जमवारामगढ़ कोप्रार्थी द्वारा निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदान किये जाने के उपरान्त व CM पोर्टल 181 पर भी निर्णय पालनार्थ बाबत शिकायत दर्ज करवाये जाने के उपरान्त भी उक्त आदेश कि आज तक कोई पालना नहीं कि गयी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर जाहिर होता है कि तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष सर्वप्रथम स्वयं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दौराने सेटलमेन्ट की कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण मानते हुये गलत तरमीम होने के कारण खसरा नं. 182/371, 184, 185, 186 की राजस्व नक्शे में दुरूस्ती करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तरमीम दुरस्ती किये जाने के आदेश पारित किये गये उसके उपरान्त भी तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर के आदेश की पालना नहीं की गई है तथा एन0एच0–11–ए के लगवा सरकारी भूमिसाबिक खसरा नं. 33/1 हाल खसरा नं. 151 वगै0को पीछे दर्ज कर दिया गया है एवं खातेदारी भूमि को एन0एच0–11–ए के लगवा दर्ज कर दिया गया है। जो कि राजहित में बहुमूल्य सम्पत्ति थी जिसकी तरमीम दुरूस्ती के आदेश होने के उपरान्त भी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा आदिनांक पालना नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से निजी खातेदारों को लाभ पहुँचाने की मंशा से पालना नहीं की जा रही है। जो कि गम्भीर लापरवाही एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना नहीं करने की श्रेणी में आता है। न्यायालय हाजा द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 28.04.2023 को यथावत रखा गया है जिसकी पालना अविलम्ब किया जाना राजहित में न्यायसंगत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष सर्वप्रथम स्वयं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एन0एच0–11–ए के लगवा सरकारी बहुमूल्य भूमि साबिक खसरा नं. 33/1 हाल खसरा नं. 151 वगै0 को पीछे दर्ज कर दिये जाने एवं खातेदारी भूमि को एन0एच0–11–ए के लगवा दर्ज करने से सेटलमेन्ट की कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण मानते हुये खसरा नं. 182, 184, 185, 186,182/371 की राजस्व नक्शे में दुरूस्ती करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तरमीम दुरस्ती किये जाने के आदेश पारित किये गये उसके उपरान्त भी तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर के आदेश की पालना नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अवमानना स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 28.04.2023 की पालना अतिशीघ्र की जावे तथा एन0एच0–11–ए के लगवा सरकारी बहुमूल्य भूमि को पीछे दर्ज कर दिये जाने एवं खातेदारी भूमि को एन0एच0–11–ए के लगवा दर्ज करने से सरकारी बहुमूल्य सम्पत्ति की खुर्द–बुर्द होने की संभावना होने के उपरान्त भी तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 28.04.2023 की आदिनांक पालना नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से राजहित की रक्षा नहीं की गई है। जो कि गम्भीर त्रुटि की श्रेणी मे आता है। अतः तहसीलदार जमवारामगढ श्री दिनेश मीणा के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 16 के तहत् अनुशानात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(डॉ आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर